



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 566 राँची, मंगलवार,

10 नवम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

20 अक्टूबर, 2020

आदेश सं०-5/आरोप-1-16/2020 का०-5316-- श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-790/03, गृह जिला-हजारीबाग), अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-187, दिनांक 01.05.2020 द्वारा प्रपत्र-क'में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध COVID-19 LOCK DOWN के तहत राज्य के नगर निगम या नगर निकायों की सीमा के बाहर के उद्योगों को खोलने से संबंधित दिये गये दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोप-पत्र के साथ साक्ष्य संलग्न नहीं रहने के कारण विभागीय पत्रांक-2259, दिनांक 06.05.2020 द्वारा उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से आरोपों के संदर्भ में साक्ष्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-351/स्था०, दिनांक 08.08.2020 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर साक्ष्य की प्रति उपलब्ध नहीं कराते हुए उपायुक्त,

सरायकेला-खरसावाँ द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप से मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

अतः, उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से प्राप्त अनुशंसा एवं आरोप से संबंधित साक्ष्य के अभाव में श्री सुबोध कुमार, अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
